भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3070

जिसका उत्तर 18.12.2025 को दिया जाना है

टोल संग्रह लागत में कमी

†3070. श्री विष्णु दयाल राम:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:
डॉ. राजेश मिश्रा:
श्री आलोक शर्मा:
श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:
श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:
श्री नव चरण माझी:
श्री जनार्दन मिश्रा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के देवास-शाजापुर क्षेत्र सहित देश में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में टोल संग्रह लागत में उल्लेखनीय कमी आने के क्या कारण हैं;

(ख) देवास-शाजापुर निर्वाचन क्षेत्र सहित देश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा कौन-कौन से अनुबंध और बोली सुधार शुरू किए गए हैं;

(ग) उक्त उपायों से उक्त क्षेत्र सहित देश में सरकारी राजकोष से वित्तपोषित टोल प्लाजा पर बोलीदाताओं की भागीदारी, राजस्व प्रेषण और परिचालन दक्षता किस प्रकार प्रभावित हुई है;

(घ) क्या सरकार का टोल प्रचालनों में पारदर्शिता और लागत-प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए और नीतिगत उपाय करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्तमान में कितने टोल संचालित हो रहे हैं; और

(छ) उक्त टोल का संचालन करने वाली एजेंसियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ख) सरकार ने प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण कार्यतंत्र में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिसमें विभिन्न पहलों की शुरूआत जैसे बोली समय सीमा की स्वचालित निगरानी, डेटालेक के द्वारा प्रेषित शुल्क की कड़ी निगरानी, विंडफॉल गेन क्लॉज की शुरूआत शामिल हैं, ताकि प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण में पर्याप्त वृद्धि के मामले में, करार को 7 दिनों के नोटिस के साथ समाप्त किया जा सके, एक वर्ष में समय से पहले के अनुरोध की संख्या को 3 तक सीमित करना और एक ही बोलीदाता को उसी शुल्क

प्लाजा बोली के लिए बोली लगाने की अनुमति नहीं देना जिसके लिए उसने समय-पूर्व समाप्ति अनुरोध प्रस्तुत किया है। 3 महीने (1 वर्ष के अनुबंध में) और 1 महीने (3 महीने के अल्पकालिक अनुबंधों में) के डीम्ड समय-विस्तार को हटा दिया गया है। अधिस्थगन प्रावधानों को संविदा करार में जोड़ा और परिभाषित किया गया है। स्वतः रूप से, प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से 1 वर्ष की अवधि के लिए ठेके दिए जाते हैं। इसके अलावा, अल्पावधि अनुबंध केवल नए प्लाजा के लिए या जहां यातायात अभी भी अस्थिर है या जहां असामान्य रूप से कम बोलियां प्राप्त होती हैं, ऐसे प्लाजा के लिए किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण एजेंसियों के मुद्दों के निराकरण और प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव मांगने के लिए उनके साथ नियमित रूप से बातचीत की जाती है। ये कदम/पहलें देवास-शाजापुर निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर उठाए गए थे।

(ग) सरकार द्वारा किए गए उपरोक्त उपायों का देवास-शाजापुर निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर में राजकोष के माध्यम से वित्त पोषित एनएच खंडों पर बोलीदाता की भागीदारी, राजस्व प्रेषण और प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा पर परिचालन दक्षता पर सकारात्मक और मात्रात्मक प्रभाव पड़ा है।

उपरोक्त के अलावा, विशेष रूप से नकद और अधिभार शुल्क संग्रहण के संबंध में टोलिंग संचालन में संचालन पारदर्शिता सुनिश्चित करने, नकद और टीएमएस प्रविष्टियों की निगरानी के लिए नीतिगत परिपत्र संख्या 17.5.87/2024, दिनांक 25.01.2024 के माध्यम से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करने से राजस्व में वृद्धि हुई है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण और प्रत्येक लेनदेन के अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक आधारित कार्रवाई ने सरकार को सटीक रिपोर्ट करना और उच्चतर प्रेषण सुनिश्चित किया है। इन उपायों के कारण परिचालन पारदर्शिता में वृद्धि, भागीदारी में वृद्धि और राजकोष में धन प्रेषण और टोल संग्रह में वृद्धि हुई है।

(घ) से (ङ) सरकार टोल संचालन में पारदर्शिता और लागत प्रभावशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से टोलिंग नीतियों और परिचालन कार्यप्रणाली की लगातार समीक्षा करती है। इन समीक्षाओं के आधार पर समय-समय पर उपाय किए जाते हैं।

(च) मध्य प्रदेश राज्य के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-75 ई (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-39) के चुरहाट बाईपास से सीधी बाईपास के अंत तक रीवा- सीधी खंड पर चै. किमी 58 + 800 पर सोनवर्षा शुल्क प्लाजा कार्यरत है।

(छ) वर्तमान में, सोनवर्षा शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा नियुक्त शुल्क संग्रहण एजेंसी के माध्यम से प्रबंधित किया जा रहा है। उपर्युक्त शुल्क संग्रहण एजेंसी के लिए संविदा अवधि एक वर्ष, अर्थात 30 अक्टूबर, 2025 से 30 अक्टूबर, 2026 तक है।
